

(1) सिविल अपील क्रमांक: 18 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 18 / 14
संस्थापन दिनांक-21 / 4 / 2014

1. तेजासिंह पुत्र- मुनेन्द्रसिंह, आयु 60 साल
निवासी ग्राम फतेहपुर, परगना गोहद, जिला
भिण्ड -----अपीलार्थी / वादी

बनाम

1. दलजीतसिंह, पुत्र मुनेन्द्रसिंह सिक्ख,
आयु-50 साल, निवासी कर्मगढ़, तेहसील
वरनाला, जिला वरनाला पंजाब।
2. कर्मसिंह आयु 48 साल,
3. सतनामसिंह आयु 30 साल,
पुत्रगण-करतारसिंह, निवासी ग्राम श्यामपुर,
परगना गोहद जिला भिण्ड।
4. करतारसिंह आयु 65, पुत्र-बाधसिंह,
निवासी ग्राम श्यामपुर मजरा पिपाहड़ी,
परगना गोहद जिला भिण्ड -----प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण
5. म.प्र. शासन कलेक्टर भिण्ड.....कमबद्ध प्रतिवादी

अपीलार्थी द्वारा श्री बी0एस0बघेल अधिवक्ता उपस्थित।
प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री विकास कांकर अधिवक्ता उपस्थित।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-109 ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 20 / 04 / 2009 से उत्पन्न सिविल अपील।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 17 जुलाई 2014 को घोषित किया गया)

01 अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत
धारा 104 एवं आदेश 43 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 109 ए/2008 में दिनांकित
20/4/2009 के आदेश से विद्युद्ध होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादीगण के आवेदन आदेश नियम 11 सी0पी0सी0 निरस्त करते हुए वाद अवधि वाह्य मानते हुए निरस्त किया गया है ।

02 प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी/प्रतिवादी का विवादित भूमि के संबंध में पंजीकृत विक्रयपत्र निष्पादित नहीं हुआ। यह भी स्वीकृत है कि प्रकरण में वाद प्रश्नों की रचना नहीं हुई है।

03 वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आधार पर पेश किया गया था कि, वादी एवं प्रतिवादी क्र01 तथा प्रतिवादी क्र0 2,3,4 के पिता भगतसिंह आपस में सगे भाई हैं। उनका संयुक्त हिन्दू परिवार है। वादी के पिता मुनेन्द्रसिंह के पिता पूरनसिंह के नाम कर्मगढ़(पंजाब) में कृषि भूमि थी जिसे बेचकर वह गोहद आ गये थे ओर उक्त धनराशि से ग्राम छीमका परगना गोहद में सर्वे नं0 566,567,568 रकवा 0.543 हेक्टेयर में से मिन रकवा 0.30 यानि 3 विस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्र01 लगायत 4 के मृतक पिता भगतसिंह को दी गई थी । वंदोवस्त के पश्चात उक्त भूमि का नया सर्वे नं0750 बना। प्रतिवादी क्र01 व मृतक मुनेन्द्रसिंह का संयुक्त हिन्दू परिवार था इसलिए कयथुदा भूमि मुनेन्द्रसिंह व प्रतिवादी क्र01 ने अपने नाम करा ली। जबकि उक्त भूमि पिता द्वारा कय की गई थी ओर प्रतिफल भी उनके द्वारा दिया गया था। विक्रयपत्र कराते समय दलजीत प्रतिवादी क्र01 मौजूद था उसने भी 1/2 हिस्सा अपना नाम गलत रूप से अंकित करा लिया। इस भूमि पर उसने भवन निर्माण भी करा लिया जिसमें वादी ने भी खर्च किया था। उक्त भवन के पीछे डेढ़ विस्वा का प्लॉट है जिसका कुल रकवा 3 विस्वा है, के संबंध में विवाद है।

04. प्रतिवादी क्रमांक 5,6,7 ने साजिश कर दिनांक 07.04. 1995 को फर्जी मुख्त्यानामा तैयार कर उक्त भूमि का वयनामा प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 के हक में कर दिया, जिसका उसे अधिकार नहीं था। उक्त विवादित जगह में वादी का जन्म से ही अधिकार है। उक्त मकान में वादी अपने परिवार सहित निवास कर रहा था जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 व पिता ने व्यवधान पैदा कर उनके द्वारा बेचने का प्रयास किया गया। इस पर वादी ने उनके विरुद्ध दावा पेश किया जो प्रक0 क्र0 16/94 पर

दर्ज किया गया ओर दिनांक 6.2.98 को अदम पैरवी में निरस्त हुआ जिसे नम्बर पर लेने के लिए कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें उनका आपस में राजीनामा हो गया ओर प्रकरण क्रमांक 4/98 निरस्त करा लिया गया। दावा निरस्त होने के पश्चात प्रतिवादी क0 4 व 5 द्वारा अनुबंध का पालन नहीं किया गया ओर राजीनामा मुताबिक प्लॉट का विक्रय पत्र सम्पादित नहीं किया। नोटिस दिनांक 9.4.2005 के प्राप्त होने के बावजूद बयनामा न करने तथा 1/4/2015 को वादी के स्वत्वों से इन्कार करने से पैदा है ओर दावा अन्दर म्याद है। दावा पेश कर इस आशय की सहायता चाही गई कि भविष्य में प्रतिवादीगण वादी के मकान के कब्जा में कोई बाधा उत्पन्न न करे तथा विक्रय पत्र अन्य किसी को सम्पादित न करें।

05- प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने प्रतिउत्तर में वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य को अस्वीकार करते हुए वादपत्र में वर्णित तथ्यों को गलत बताया है मुनेन्द्रसिंह व दलजीतसिंह साथ रहते थे भगतसिंह व वादी ने परिवार से अलग होकर अपने हिस्सा ले लिया था और अलग हो गये थे। इसके पश्चात मुनेन्द्रसिंह व दलजीतसिंह ने स्वयं अपनी कमाई से वादग्रस्त भूमि क़य की थी। वादग्रस्त भूमि के हिस्से पर वयनामा के अनुसार नांमातरण हुआ था। यह भी आपत्ति की गई कि मृतक मुनेन्द्रसिंह की चार पुत्रियों एवं भगतसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया। दावे के मालियत गलत कामय की गई है ओर न्यायशुल्क भी कम अदा किया गया है। वाद अवधि वाह्य है। अतः निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

06- विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना नहीं की और आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन पर आलोच्य आदेश पारित करते हुए वाद अवधि वाह्य मानते हुए दावा निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई।

07- वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधी0 न्या0 ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया और कोई दस्तावेज पेश न होने से वाद निरस्त कर दिया। विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में

स्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने जिन आधारों पर वाद निरस्त किया है वे सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य को अपास्त किया जावे।

08- उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
2. क्या अपील स्वीकार की जाकर का वादी/अपीलार्थी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है ?

-:- निष्कर्ष के आधार -:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

9- अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक-20/4/2009 जिसके विरुद्ध यह अपील की गयी है । वह आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के उपबंध के तहत पारित कर मूल वाद को अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त किया है इसलिये आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के उपबंध पर विचार करना आवश्यक है । आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. 1908 के मुताबिक वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा :-

- (क) जहां वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है ;
- (ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वाही मूल्यांकन को ठीक रने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ;

- (ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्पपत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ;
- (घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है ;
- 1- {(इ) जहां वह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है ।}
- 2- {(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।}

परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तबतक नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, कूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा ।

10. इस तरह से आदेश 7 नियम 11 (घ) के अंतर्गत वाद खारिज किया है, जिसमें विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होने पर उक्त प्रावधान के तहत वाद नामंजूर किया जा सकता है । परिसीमा काल का बिन्दु विशुद्ध रूप से केवल विधि का प्रश्न नहीं है, बल्कि विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न होता है और ऐसे बिन्दु के निराकरण के लिए जांच की आवश्यकता होती है ।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के आवेदनपत्र के आधार पर आलोच्य आदेश किया है । कोई प्रारंभिक वादप्रश्न की रचना भी नहीं की गयी है । जबकि प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर पेश किया जा चुका था । प्रत्यर्थी की ओर से यह आधार लिया गया है कि पूर्व में एक वाद पेश किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक-16ए/94 दर्ज हुआ था और अदम पैरवी में दिनांक-6/2/1998 को निरस्त हुआ । जिसके पुर्नस्थापन के लिए विविध सिविल प्रकरण क्रमांक-4/98 पेश किया गया था, जो कि दिनांक-9/4/1999 को निरस्त

हुआ । ऐसे में पुनः दावा नहीं किया जा सकता है । इस बिन्दु पर भी कोई वादप्रश्न की रचना नहीं की गयी है ।

12. आदेश 9 नियम 9 के उपबंध मुताबिक जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज किया है, वहां उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद नहीं लाया जा सकता है । जबकि वर्तमान प्रकरण में पूर्व वाद क्रमांक-16ए/1994 और वर्तमान वाद में वाद हेतुक एक ही नहीं हैं, जिसे ध्यान नहीं रखा गया है । आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के जिस आवेदनपत्र पर से आदेश किया गया है उसमें वाद के मूल्यांकन उसपर न्यायालय शुल्क का भी बिन्दु उठाया गया था और समयावधि का बिन्दु भी उठाया गया था । इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया ।

13. यह सुस्थापित विधि है कि मूल्यांकन और न्यायालयशुल्क के संबंध में वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है । अर्थात् उस समय वादोत्तर के अभिवचनों को नहीं देखा जाता है और किसी संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपाल के बाद के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसूची के अनुच्छेद 54 के मुताबिक तीन वर्ष की कालावधि बतायी गयी है जो कि पालन के लिए नियत की गयी । तारीख से गणना की जाती है और यदि कोई तारीख नियत नहीं की गयी है तब वादी को अनुबंध के अनुपालन से इंकारी की सूचना मिलने की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि बतलायी गयी है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान वाद दिनांक-9/4/1999 को तथाकथित अनुबंध के आधार पर समयावधि की गणना करते हुए निरस्त किया है, जबकि वादपत्र के अभिवचनों मुताबिक वाद दिनांक-9/4/99 के अनुबंध के किस अनुपालन के लिए प्रस्तुत किया गया, उसे एक आधार मात्र बनाया है ।

14. मूल वाद जो कि विवादित संपत्ति के स्वत्व की घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया, जिसमें उसने अपना 1/3 हिस्सा अपने भाई प्रतिवादी दलजीत सिंह और करतार सिंह के साथ बताते हुए पेश किया है, जिसमें दलजीत सिंह और मुनेन्द्र सिंह के द्वारा बयानामा दिनांक-28/6/1996 और 29/6/1996 को व्यर्थ व प्रभावशून्य घोषित किए जाने की प्रार्थना भी हक के आधार पर की है । क्योंकि अभिवचनों में उसने पिता का मुख्तारनामा आम दिनांक-7/4/1995 को सडयं ? पर

आधारित भी बताया । अर्थात् उसका मूल वाद वादपत्र के अभिवचनों मुताबिक अनुबंध पर आधारित ना होकर हक के आधार पर किया गया है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में वर्ष 1999 के अनुबंध के आधार पर तीन वर्ष की मियाद का गलत आंकलन किया है ।

15. यह भी उल्लेखनीय है कि जिस विक्रयपत्र को चुनौती दी गयी, उसका वादी/अपीलार्थी पक्षकार भी नहीं है । ऐसे में उसे घोषणा के वाद का मूल्यांकन अनुसार न्यायालय शुक्ल अदा करने की भी आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत लक्ष्मीकांत दुबे विरुद्ध श्रीमती वियारिया 2002 भाग-2 एम.जी.एल.जे. पेज-44 अवलोकनीय है । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि वादी जिस विक्रय विलेख में पक्षकार नहीं था वह शून्य था और उसका वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होने की घोषणा का मूल्यांकन अनुसार देय नहीं होगा और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की अनुसूची II के अनुच्छेद 17 के अधीन न्यायालय शुल्क उचित होगा । जैसा कि वर्तमान मूल वाद में वादी/अपीलार्थी द्वारा किया गया है । ऐसे में हक के आधार पर वाद को देखते हुए परीसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54 के प्रावधान प्रकरण में लागू नहीं होंगे, जिस आधार पर वाद को अवधि बाह्य माना ।

16. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश मुताबिक प्रतिवादी क्र.-1, 5, 6, 7 उपस्थित बताये । शेष अर्निवाहित बताये, जबकि तामील हेतु अन्य कोई पक्षकार शेष ही नहीं है । क्योंकि बलवंत कौर और उसके पुत्रगण महासिंह और रघुवीर सिंह को विचारण न्यायालय के ही आदेश दिनांक-23/11/2007 के तहत उन्हें कार्यवाही से मुक्त कर बिलोपित किया जा चुका था ।

17. फलतः ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश कतई वैधानिक ना होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक-20/4/09 को अपास्त किया जाता है और मूल प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्रता से अग्रिम कार्यवाही अग्रसर करते हुए विचारण हेतु आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जाता है ।

18. उभयपक्षकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही में भाग

(8)

सिविल अपील क्रमांक: 18/14

लेने हेतु स्वयं अथवा अधिवक्ता के मारफ्त दिनांक-25/07/2014 को उपस्थित रहें।

19. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना अपील व्यय वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

दिनांक- 17 जुलाई 2014

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड